

18
05
24

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्षकारान उपस्थित।
वादी सजय कुमार तिवारी ने शपथ-पत्र PW-1
को साक्ष्य के प्रदर्श कर पत्रावली में शामिल
दस्तावेजों को प्रदर्शित कर उभार। जिरह N, C।
पत्रावली वास्तु बरह कतिफ सिंगल 23/05/24
को पेश है। S.O.

23
05
2024

पत्रावली पेश हुई अधिकाधिक संघ द्वारा
अधिकाधिक काम... स्याधित
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
05/06/2024 को पेश की जावे

S.O.

05
06
24

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्षकारान उपस्थित।
वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में बरह कतिफ सुभाष
उमय पक्ष को बुला गया। पत्रावली वास्तु को पेश
वाद-पत्र दिनांक 11/06/2024 को पेश है। S.O.

11
06
24

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्षकारान उपस्थित। वकील
उमय पक्ष बरहस पर अनुरोध किया गया। वाद-पत्र में
कतिफ लक्ष्यों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का
कठिनाई कर गहरा कर अनुरोध किया गया। वकील
वादी द्वारा वाद-पत्र की बरह कतिफ के दोबारा
दी गई दलीलों से एक संतुष्ट है अतः वकील वादी
का वाद-पत्र स्वीकार योग्य पार जाते से वाद-
पत्र धारा-183 के तहत स्वीकार किया जाता है।
वाद-पत्र का निर्णय पुपलु से लिखाया जानर पुपलु
पुनःपुनः की पुनःपुनः से बुलाया गया। पत्रावली
पुनःपुनः पुनःपुनः पुनःपुनः पुनःपुनः पुनःपुनः
शामिल दस्तावेज है। S.O.

उपखण्ड अधिकारी
पत्रावली (चित्तौड़गढ़)